न्यायालय :—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद, जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर (म0प्र0)
(समक्ष— योगेश चालीसा)

(निर्णय दिनाँक :—25.06.2026)

आपराधिक प्रकरण क्र.—73 / 2020

फाईलिंग नं.—299 / 2020

सी.एन.आर.नं.—M.P.100600-0347-2020

संस्थित दिनाँक—15.07.2020

(प्राथमिक वन अपराध क्रमाँक 3610 / 18 और वन परिक्षेत्र सनावद, बीट—बासवां, जिला खरगोन म.प्र.)

शिकायतकर्ता	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन विभाग, वन परिक्षेत्र सनावद, बीट—बासवां, वनमंडल—बड़वाह
शासन द्वारा प्रतिनिधित्व	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संतोष करोले।
अभियुक्तगण	**1.** मंसूर पिता शफी मोहम्मद खान, उम्र—42 वर्ष **2.** पप्पू पिता अब्दुलहक कुरैशी, उम्र—45 वर्ष, निवासीगण—बाजार चौक, पुनासा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.)
अभियुक्तगण द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री गणेश मालवीय, अधिवक्ता।

फार्म—बी

अपराध की तारीख	23.12.2019
वन अपराध रिपोर्ट की तारीख	23.12.2019

आरोप–पत्र की तारीख	15.07.2020
आरोपों के विरचना की तारीख	11.03.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	25.09.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	25.06.2026
निर्णय की तारीख	25.06.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	कुछ नहीं।

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी /धारा–41 द.प्र.सं. के सूचना पत्र की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोज्नार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	मंसूर पिता शफी मोहम्मद खान	23.12.2019	23.12.2019	26(1)(छ), 41/42, 3/22 भा. वन अधि. 1927	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	निरंक
2.	पप्पू पिता अब्दुलहक कुरैशी	23.12.2019	23.12.2019	26(1)(छ), 41/42, 3/22 भा. वन अधि. 1927	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	निरंक

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ

		साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	अरविंद सिंह सेंगर	तोल पंचनामे के साक्षी
अ.सा. 2	भगवतीप्रसाद उपाध्याय	जप्ती के साक्षी
अ.सा. 3	लखन सोलंकी	जप्ती के साक्षी
अ.सा. 4	सत्यनारायण सोनी	अनुसंधानकर्ता
अ.सा. 5	अजय भाटिया	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 6	प्रकाश शाही	जप्ती के साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	निरंक	

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	निरंक	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	मौका पंचनामा
2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	तौल पंचनामा

3	प्रदर्श पी.3 / अ.सा.2	जप्ती पंचनामा
4	प्रदर्श पी.4 / अ.सा.2	जप्ती पंचनामा
5	प्रदर्श पी.5 / अ.सा.2	जप्ती पंचनामा
6	प्रदर्श पी.6 / अ.सा.2	तलाशी पंचनामा
7	प्रदर्श पी.7 / अ.सा.2	तलाशी पंचनामा
8	प्रदर्श पी.8 / अ.सा.2	सुपुर्दगी पंचनामा
9	प्रदर्श पी.9 / अ.सा.2	सुपुर्दगी पंचनामा
10	प्रदर्श पी.10 / अ.सा.3	पी.ओ.आर.
11	प्रदर्श पी.11 / अ.सा.4	सुपुर्दगी पंचनामा
12	प्रदर्श पी.12 / अ.सा.4	अभियुक्त मंसूर का गिरफ्तारी पंचनामा
13	प्रदर्श पी.13 / अ.सा.4	अभियुक्त पप्पू का गिरफ्तारी पंचनामा
14	प्रदर्श पी.14 / अ.सा.4	अभियोजन स्वीकृति
15	प्रदर्श पी.15 / अ.सा.4	जप्ती पंचनामा
16	प्रदर्श पी.16 / अ.सा.3	धारा–63–(4) सी का प्रमाण पत्र

ख. प्रतिरक्षा

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

स. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं. क्रं.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए–01	सलाई गोंद

2	आर्टिकल ए–02	पिकअप का फोटो

//निर्णय//

अभियुक्तगण पर आरोप

1. अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–26(1)(छ), 41/42 एवं म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 के नियम 3/22 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनाँक–23.12.2019 को रात्रि लगभग 11:45 बजे, वन मंडल बड़वाह, परिक्षेत्र सनावद, बीट बासवा के अंतर्गत सनावद में सलई गोंद वनोपज का विनिर्माण की प्रक्रिया में उसका संग्रहण कर परिवहन किया, वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा–41 के अधीन बनाये गए नियमों को उल्लंघन किया एवं बिना किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

2. हस्तगत् प्रकरण माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सनावद के प्रकरण कमांक–सीआरए/07/2026 के निर्णय दिनांक 22.04.2026 में इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांकित 10.04.2024 पर आदेश पारित करते हुए पुनः निर्णय घोषित किया जावे।

अभियोजन का घटनावृत्तांत

3. अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक 22.12.2019 को रात्रि 11:45 बजे वन विभाग में पदस्थ अधिकारीगण को सूचना प्राप्त हुई पुलिस थाना सनावद द्वारा अवैध रूप से बोलेरो नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 में सब्जी ले जाने वाली केरेट से ढककर 17 कट्टों में लघु वनोपज सलई गोंद वाहन स्वामी पप्पू एवं मसूंर द्वारा परिवहनित करते पाया गया है एवं उक्त वाहन को पुलिस थाना में खड़ा किया गया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी एन.के. परिहार पुलिस थाना सनावद गए, जहां पर उक्त वाहन मय उक्त दोनों अभियुक्तगण को एन.के. परिहार को पंचनामा बनाकर आगामी कार्यवाही हेतु सौंप दिया गया, जिसके बाद

परिक्षेत्र सहायक एस.एन. सोनी द्वारा उक्त वाहन को बड़वाह ले जाया गया, जहां पर उक्त पिक–अप वाहन में 9 क्विंटल 57 किलो सलई गोंद अभियुक्तगण से जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। दोनों अभियुक्तगण से मोबाईल व नगदी रूपये जप्त किये गए, जप्तशुदा गोंद को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोला गया, अभियुक्तगण का तलाशी पंचनामा बनाया गया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामें बनाये गए, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये और आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–26 (1)(छ), 41/42 एवं म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000 के नियम 3/22 का अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में दिनाँक–15.07.2020 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण का आरोप पर अभिवाक्

4. अभियुक्तगण पप्पू एवं मंसूर को आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर उन्होंने अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण की मांग की है।

विचारणीय प्रश्न

5. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैः–

01.	क्या अभियुक्तगण पप्पू एवं मंसूर ने दिनाँक–23.12.2019 को रात्रि लगभग 11:45 बजे, वन मंडल बड़वाह, परिक्षेत्र सनावद, बीट बासवा के अंतर्गत सनावद में सलई गोंद वनोपज का विनिर्माण की प्रक्रिया में उसका संग्रहण कर परिवहन किया ?
02.	क्या अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर ने उक्त घटना, दिनाँक, समय व स्थान पर वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा–41 के अधीन बनाये गए नियमों को उल्लंघन किया ?
03.	क्या अभियुक्त पप्पू व मंसूर ने उक्त घटना, दिनाँक, समय व स्थान पर बिना किस प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन किया ?
04.	दोषसिद्धी एवं दण्डादेश ?

–:: निष्कर्ष एवं विवेचना ::–
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 के संबंध में –

6. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर अनन्योनाश्रित होने के कारण, साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति को निवारित करने के आशय से, उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

साक्ष्य का कमबंधन

7. प्रकरण के साक्षी **अरविंद सिंह सेंगर (अ0सा0–1)** ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 22.12.2019 को वन परिक्षेत्र सनावद की बीट डुडगांव में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी सनावद द्वारा एक सफेद रंग की बोलेरो पकड़ने के संबंध में साहब को सूचना मिली थी, जिसमें गोंद रखा पाया था। गोंद के ऊपर प्लास्टिक की केरेट रखे थे। उक्त सूचना से साहब ने उन्हें अवगत करवाया, उसके बाद वह थाना सनावद पहुंचे थे, जहां पर बोलेरो नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 व दो अभियुक्त को वाहन में रखे गोंद सहित पुलिस थाना द्वारा उन्हें सुपुर्द किया गया था, जिसके संबंध में प्र.पी.–1 का पंचनामा बनाया गया था। उसी दिनांक को उक्त वाहन को रूद्राक्ष भवन रेस्ट हाउस बड़वाह ले जाया गया था, वहां पर दिनांक 23.12.2019 को गोंद का वजन किया गया था, जो 17 कट्टों में होकर 957.200 किलोग्राम थी, जिसका तोल पंचनामा प्र.पी.–2 साक्षी गौरव व लखन सोलंकी के समक्ष बनाया गया था।

8. साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में, पुलिस थाना सनावद द्वारा अभियुक्तगण से ही उक्त वाहन पकड़े जाने के संबंध में उसे जानकारी नहीं होना बताया है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.–1 के पंचनामें में किसी भी स्वतंत्र पंचान साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जप्तशुदा गोंद के बोरों का वजन नहीं किया गया था, रेस्ट हाउस के चौकीदार भगवान व शोभाराम के द्वारा उसके समक्ष वजन किया गया था, जबकि तौल पंचनामें पर उक्त दोनों में से किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उनकी साक्ष्य प्रकरण में मौजूद है।

9. उक्त साक्षी का समर्थन प्रकरण के अन्य साक्षी **भगवतीप्रसाद (अ0सा0–2)** ने किया है एवं स्वयं की साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक 23.12.2019 को सनावद में वनपाल के विशेष कर्तव्य पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को

मौके पर साहब ने जप्ती की कार्यवाही की थी, जिसमें पिक–अप वाहन नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 एवं रखी सलई गोंद जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.–3 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त मंसूर व पप्पू दोनों से अलग–अलग पैसे और मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा क्रमशः प्र.पी.–4 व प्र.पी.–5 बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को अभियुक्तगण की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा प्र.पी.–6 व प्र.पी.–7 बनाये गए थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साहब ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। दिनांक 06.01.2020 को अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर को उनसे जप्त किये गए पैसे व मोबाईल सुपुर्द किये थे, जिसके संबंध में क्रमशः प्र.पी.–8 व 9 के दस्तावेज तैयार किये गए थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. उक्त साक्षी ने उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया प्र.पी.–3 लगायत 07 की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि उसके अधिकारियों ने कहा था कि उनके द्वारा कार्यवाही की गई है, हस्ताक्षर कर दो, तो उसने अधिकारियों के कहने पर दस्तावेजों में हस्ताक्षर कर दिये थे।

11. प्रकरण के अन्य साक्षी **लखन सोलंकी (अ0सा0–3)** ने उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि वह दिनांक 23.12.2019 को वन रक्षक के पद पर सनावद में पदस्थ था। उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही हुई थी एवं प्र.पी.–3 के जप्ती पत्रक अनुसार उक्त वाहन एवं गोंद को जप्त किया गया था। जप्ती के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके बाद जांच परिक्षेत्र सहायक सनावद द्वारा की गई थी। उसके द्वारा प्र.पी.–10 का पी.ओ.आर. क्र. 3610/18 काटा गया था। इसी साक्षी ने प्र.पी.–2 के तौल पंचनामा एवं प्र.पी.–1 के पंचनामें पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

12. उक्त साक्षी ने उसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसके द्वारा दिनांक 23.12.2019 को अभियुक्तगण पप्पू एवं मंशुर खान से जो पिकअप क्रमांक–एम.पी. 12 जी.ए. 1029 में रखे 09 क्वींटल 27 किलो जप्त किए थे, उक्त मुद्देमाल सलाई गोंद आर्टिकल ए–01 है तथा पिकअप का फोटो आर्टिकल ए–02 है। उनके आधिपत्य में जो मोबाईल था, उन्होंने उससे फोटो खींची थी, उसको उन्होंने भारत फोटो स्टुडियो से उक्त फोटो बनवाए थे, जिसमें कोई काट–छाट नहीं की गई थी, जिस संबंध में धारा–63–(4)सी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–16 है, जिसके ए से ए भाग पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

13. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने थाने पर किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये थे और ना ही थाने पर कोई कार्यवाही की थी। यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.–3 के जप्ती पत्रक पर उसके अतिरिक्त किसने हस्ताक्षर किये थे, वह नहीं बता सकता। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में गोंद का वजन करना बताया है, जबकि प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि वजन उसके द्वारा नहीं किया गया था और कौनसे केरेट में कितना वजन किया था, इसकी तथ्य की जानकारी उसे नहीं है। इसी साक्षी ने यह भी स्वीकार किया प्र.पी.–10 के पी.ओ.आर. में उसने अपराध की धाराएं उसके अधिकारियों के कहने पर लिखी हैं।

14. उक्त साक्षी ने उसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा अभियुक्तगण से पिकअप क्रमांक–एम.पी. 12 जी.ए. 1029 में रखे 09 क्वींटल 27 किलो सलाई गोंद जप्त किया था, कहां से तथा किस स्थान से किया गया था, इसका प्रदर्श पी–03 में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी स्वीकार किया कि आर्टिकल ए–01 की बोरी फटी हुई है। स्वतः कथन में व्यक्त किया कि पुरानी हो गई है, इसलिए फटी हुई है। यह स्वीकार किया कि किसी भी बोरी में वन विभाग अथवा पुलिस थाने की कोई भी चपड़ा सील अथवा चिट नहीं लगी थी और न ही उन बोरियों पर अभियुक्तगण एवं साक्षीगण के हस्ताक्षर व नाम लिखे हुए हैं। यह भी व्यक्त किया कि उक्त मुद्देमाल न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व आर्टिकल ए–01 का तौल वजन किया गया था, किन्तु उनके द्वारा उक्त मुद्देमाल के वजन के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा उन्होंने जिस तौल काटे पर मुद्देमाल का वजन करवाया था, उक्त तौल काटे का कोई प्रमाण पत्र प्रकरण में पेश नहीं किया है।

15. प्रकरण के अन्य साक्षी **उनि. अजय भाटिया (अ0सा0–5)** ने स्वयं के मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह दिनांक 22.12.2019 को थाना सनावद पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उनि. दीपक तलवारे को पिक–अप नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 में अवैध सामग्री आने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे अवगत करवाकर वह, दीपक तलवारे, आरक्षक अजय सोलंकी व प्रकाश शाही रेलवे फाटक पर गए थे। उपरांत पहुंच कर उन्होंने प्रश्नगत् पिक–अप को रोका था, उसमें अभियुक्तगण बैठे हुए थे। पिक–अप को चैक करने पर उसमें 17 बोरे गोंद भरा होना पाया था, जिसके संबंध में अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया।

16. उक्त कारणवश वाहन को लेकर थाने पर आये थे, जहां पर वन विभाग के लोग उपस्थित थे और पंचनामा प्रकाश शाही द्वारा बनाया गया था। इसी साक्षी ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि घटना स्थल के पंचनामें पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि सनावद थाने पर बोरियों को तोला था, जबकि साक्षी अरविंद सिंह सेंगर (अ0सा0–1) व अनुसंधान साक्षी सत्यनारायण सोनी (अ0सा0–4) ने रूद्राक्ष भवन रेस्ट हाउस, बड़वाह में गोंद का वजन करना बताया है।

17. अभियोजन साक्षी **उनि. प्रकाश शाही (अ0सा0–6)** ने उनकी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 22.12.2019 को थाना सनावद पद पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, तब थाने पर एन.के. परिहार द्वारा गाड़ी नं. एम.पी. 12 जी.ए. 1029 को लाया गया था, जिसमें वन उपज गोंद की 17 बोरियां अवैध रूप से रखी हुई थी, गोंद के संबंध में दस्तावेज नहीं होने पर हरीश व परिहार साहब के समक्ष गोंद मय वाहन को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.–15 बनाया था और आगामी कार्यवाही वन विभाग द्वारा की गई थी और उनके कथन लेखबद्ध किये गए थे।

18. इसी साक्षी ने उनके प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं गए थे। यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण से उक्त वाहन व गोंद उनके समक्ष जप्त नहीं किया गया था।

19. प्रकरण के अनुसंधान साक्षी **सत्यनारायण सोनी (अ0सा0–4)** ने अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में साक्षी अरविंद सिंह सेंगर (अ0सा0–1), भगवतीप्रसाद (अ0सा0–2) व लखन सोलंकी (अ0सा0–3) के समान ही कथन किये हैं, किंतु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनको पुलिस थाना सनावद द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही की थी या नहीं, उसके संबंध में उन्हें थाने से कोई दस्तावेज नहीं दिये गए थे। पुलिस ने अभियुक्तगण को किस स्थान पर कैसे पकड़ा था, इसकी जानकारी होने से भी इंकार व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके समक्ष कोई घटना नहीं हुई थी। यह भी बताया है कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी के कथन नहीं लिये थे और प्रकरण में भी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है।

अभियुक्तगण के धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन

20. अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के

अंतर्गत स्वयं को प्रकरण में निर्दोष बताते हुए, झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण ने उनके बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

साक्ष्य का मूल्यांकन

21. अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मुख्यतः यह है कि अभियुक्तगण ने घ टना दिनांक, समय व स्थान पर जप्तशुदा सलाई गोंद वनोपज का परिवहन करके भारतीय वन अधिनियम की धारा–26(1)(छ), 42 एवं मध्यप्रदेश अभिवहन वनोपज के नियत–3/22 का अपराध आरोपित किया गया है।

22. अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि जप्तशुदा मुद्देमाल भारतीय वन अधिनियम की धारा–02 में परिभाषित वनोपज है। दूसरा अभियुक्तगण से जप्तशुदा मुद्देमाल जप्त किया गया था।

23. अभियोजन साक्षी अजय भाटिया अ.सा.–05 ने उनके कथनों में व्यक्त किया है कि उपनिरीक्षक दीपक तलवारे को दिनांक 22.12.2019 को सूचना मिली थी कि पिकअप क्रमांक–एम.पी. 12 जी.ए. 1029 में अवैध सामग्री आ रही है। उक्त सूचना पर दीपक तलवारे, आरक्षक अजय सोलंकी, प्रकाश शाही एवं साक्षी अजय भाटिया रेलवे फाटक पर पहुंचे थे। वहां पर पिकअप को रोका, तो उसमें अभियुक्तगण बैठे पाए गए थे। पिकअप की तलाश करने पर 17 बोरों में गोंद पाया गया था। उनके संबंध में पूछे जाने पर कोई संतोषप्रद कारण न मिलने से वाहन को सनावद थाने पर लाया गया था और वहां पर वन विभाग के लोग आए थे।

24. इस प्रकार सर्वप्रथम जप्तशुदा मुद्देमाल अजय भाटिया अ.सा.–05 की अभिरक्षा में आया था, परंतु साक्षी द्वारा कोई जप्ती की कार्यवाही करने का कथन नहीं किया गया है। बिना जप्ती किए विवादित गोंद को अभिरक्षा में लेकर पिकअप वाहन को सनावद थाना लाया गया था।

25. अभियोजन साक्षी सत्यनारायण सोनी अ.सा.–04 ने कथन किया है कि उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सूचना मिली थी कि दिनांक 23.12.2019 को सनावद थाना द्वारा एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी पकड़ी थी, जिसमें कि गोंद भरा हुआ था। उक्त सूचना पर साक्षी अ.सा.–04 एवं बीड गार्ड रतन सोलंकी, एन.के. परिहार सनावद थाना पर आए थे। सनावद थाना में पिकअप वाहन किसी परिहार नामक अधिकारी को विवेचना हेतु सौंप दी गई थी। मौका पंचनामा प्रदर्श पी–01

बनाकर प्रथम बार जप्ती की कार्यवाही पंचान साक्षी आरक्षक रतन सोलंकी की उपस्थिति में की गई थी, जिसमें पिकअप वाहन एवं उसमें रखे गए कथित गोंद को अभियुक्तगण से जप्त किया गया था। साथ ही अन्य जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी–04 एवं प्रदर्श पी–05 तथा तौल पंचनामा प्रदर्श पी–11 भी बनाया गया था।

26. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वप्रथम पिकअप वाहन तथा कथित गोंद को बिना जप्त किए साक्षी अजय भाटिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा उनकी अभिरक्षा में दिनांक 22.12.2019 को लिया गया था। तत्पश्चात् साक्षी सत्यनारायण अ.सा.–04 द्वारा दिनांक 23.12.2019 को, अर्थात् एक दिन पश्चात् किसी परिहार नामक अधिकारी द्वारा पिकअप वाहन एवं गोंद के संबंध में जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उक्त परिहार नामक अधिकारी को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरी ओर एक दिन तक बिना जप्ती की कार्यवाही के पिकअप वाहन एवं कथित गोंद सनावद थाना की अभिरक्षा में रहा था।

27. जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 साक्षी भगवती प्रसाद के समक्ष बनाया गया था, परंतु भगवती प्रसाद स्वयं वनपाल के पद पर पदस्थ थे तथा जब वे और अन्य वन अधिकारी सनावद थाना पर पहुंचे थे, तब अभियुक्तगण थाने के अंदर बैठे थे।

28. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–100 के प्रावधान अनुसार जप्ती की कार्यवाही जप्ती स्थान के स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति को अनुप्रमाणन साक्षी बनाते हुए किए जाने का प्रावधान है। जप्ती का स्थान सनावद थाना था एवं वहां पर स्थानीय व्यक्ति सहजता से उपलब्ध हो सकते थे, परंतु ऐसा न करते हुए वनपाल को ही अनुप्रमाणन साक्षी बनाते हुए पिकअप एवं गोंद के संबंध में एक दिन पश्चात् जप्ती की कार्यवाही की गई है।

29. हस्तगत् प्रकरण में अभियुक्त से जप्तशुदा कथित गोंद की जप्ती को प्रमाणित करना एक महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्य थी। जप्ती की कार्यवाही पर केंद्रीत अपराधों में यह महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है कि अभियुक्त से अपराध की विषय–वस्तु की अभिरक्षा लेने से अंतिम बिन्दु तक जप्ती की कार्यवाही की श्रृंखला प्रमाणित होनी चाहिए। परंतु सनावद थाना द्वारा दिनांक 22.12.2019 को कथित गोंद को बिना जप्त किए अभिरक्षा में लिया। एक दिन पश्चात् दिनांक 23.12.2019 को कथित गोंद की जप्ती स्वतंत्र साक्षी सहजता से उपलब्ध होने के बाद भी वनपाल को जप्ती साक्षी बनाते हुए की गई। इस प्रकार जप्ती की कार्यवाही में गंभीर लापरवाही की गई है।

30. भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने हेतु यह प्रमाणित करना पूरोभाव्य शर्त है कि अभियोजन यह प्रमाणित करे कि जप्तशुदा मुद्देमाल भारतीय वन अधिनियम की धारा–02 में परिभाषित वनोपज है। इस कारण हस्तगत् अपराध को प्रमाणित करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जप्तशुदा मुद्देमाल की पहचान था।

31. परंतु किसी भी साक्षी ने जप्तशुदा मुद्देमाल की पहचान के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह सिद्ध करता हो कि जप्तशुदा मुद्देमाल सलाई गोंद ही था।

32. इस कारण जप्ती की कार्यवाही में गंभीर त्रुटि होने एवं जप्तशुदा मुद्देमाल सलाई गोंद नामक वनोपज प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण पर आरोपित सभी अपराध अप्रमाणित पाए जाते हैं एवं यह सभी विचारणीय प्रश्न परिणामतः **अप्रमाणित** पाए जाते हैं।

विचारणीय बिन्दु क्र. 04
दोषसिद्धी एवं दण्डादेश ?

33. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण पप्पू एवं मंसूर ने दिनाँक–23.12.2019 को रात्रि लगभग 11:45 बजे, वन मंडल बड़वाह, परिक्षेत्र सनावद, बीट बासवा के अंतर्गत सनावद में सलई गोंद वनोपज का विनिर्माण की प्रक्रिया में उसका संग्रहण कर परिवहन किया, वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा–41 के अधीन बनाये गए नियमों को उल्लंघन किया एवं बिना किस प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पासों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन किया। फलतः **अभियुक्तगण पप्पू एवं मंसूर** को उन पर आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा–26 (1)(छ), 41/42 भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं नियम–3/22 म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम, 2000** के दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

34. अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं तथा उनके द्वारा धारा–437क दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत बंधपत्र 6 माह तक प्रवर्तनीय रहेंगे एवं अपील होने की दशा में अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

35. अभियुक्तगण पप्पू व मंसूर अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में नहीं रहे हैं। इस संबंध में धारा–428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र पृथक से तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा एवं अगर पूर्व में अभियुक्तगण द्वारा कोई अवधि निरोध में व्यतीत की गयी हो, तो वह उपरोक्त दण्डादेश में अधिरोपित कारावास की अवधि से समायोजित की जावेगी।

36. प्रकरण मे जप्तशुदा संपत्ति दो मोबाईल व नगद राशि उनके स्वामी अभियुक्तगण की अंतरिम अभिरक्षा में सुपुर्दगी पर है। अतः अपील अवधि अवसान, अपील ना होने की दशा में उक्त सुपुर्दगीनामा भारमुक्त समझा जाए। अन्य दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप नं.–एम.पी. 12 जी.ए. 1029 व 17 कट्टे सलई गोंद को वन मंडल, बड़वाह द्वारा शासन के पक्ष में राजसात किया जा चुका है।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही/–
(योगेश चालीसा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,सनावद,
प.नि. (म.प्र.)

सही/–
(योगेश चालीसा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,सनावद,
प.नि. (म.प्र.)

YOGESH CHALISA

Digitally signed by YOGESH CHALISA
Date: 2026.06.25 13:54:40 +0530